कार्यालय नगरपालिक निगम, जगदलपुर, जिला बस्तर (छ.ग.)

अभिरूचि की अभिव्यक्ति

क्रमांक / 1720/नपानि/लोनिवि/2021 जगदलपुर, दिनांक 8/1/2021

नगरपालिक निगम जगदलपुर द्वारा "जगदलपुर स्थित दलपत सागर में नौका विहार हेतु 01 नग लकड़ी का नाव प्रदाय तथा 1 वर्ष तक रख–रखाव एवं संधारण कार्यों" हेतु इच्छुक प्रदायकर्त्ता एजेंसी/व्यक्ति/निर्माता/ठेकेदार/अशासकीय संस्थानों (NGO) एवं पंजीकृत मछुवारा समितियों से अभिरूचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest) दिनांक 19/01/2021 को संध्या 5.30 बजे तक आमंत्रित की जाती है, इच्छुक प्रदायकर्त्ता एजेंसी/व्यक्ति/निर्माण/ठेकेदार/अशासकीय संस्थाएं एवं समितियां जो ऐसा कार्य करते हैं वे निम्नांकित जानकारियों/अभिलेख/पपत्रों के साथ अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं ।

1. इच्छुक प्रदायकर्त्ता एजेंसी/व्यक्ति/निर्माता /ठेकेदार / अशासकीय संस्थानों (NGO) एवं पंजीकृत मछुवारा समिति का लेटर पेड में आवेदन एवं ऑफर (पृथक–पृथक)।
2. इच्छुक प्रदायकर्त्ता एजेंसी/व्यक्ति/निर्माता /ठेकेदार / अशासकीय संस्थानों (NGO) एवं पंजीकृत मछुवारा समिति का पंजीयन पत्र की प्रति।
3. इच्छुक प्रदायकर्त्ता एजेंसी/व्यक्ति/निर्माता /ठेकेदार / अशासकीय संस्थानों (NGO) एवं पंजीकृत मछुवारा समिति का पेन कार्ड एवं जी.एस.टी. की कॉपी।
4. ई0ओ0आई0 शुल्क रू. 300.00 डी.डी. जो आयुक्त नगर निगम जगदलपुर के पक्ष में देय हो
5. आवेदन के साथ रू. 3,000.00 अमानत राशि एफडीआर के रूप में जो आयुक्त, नगरपालिक निगम जगदलपुर के पक्ष में देय हो जमा करना होगा । बिना अमानत राशि के आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा । या छुट संबंधी पत्र की सत्यापित प्रति ।

आवेदन पत्र का प्रारूप एवं अन्य जानकारी निगम के विभागीय वेबसाइट **www.nagarnigamjagdalpur.in** एवं **http://uad.cg.gov.in** से डाउनलोड कर अवलोकन उपरांत दिये गये निर्देशानुसार रूचि की अभिव्यक्ति में भाग लिया जा सकता है निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा। विस्तृत नियम एवं शर्तें उक्त वेबसाईट से प्राप्त की जा सकती है ।

आयुक्त
नगरपालिक निगम, जगदलपुर

' स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत निर्माण में योगदान दें '

पृ0क्र./172/न.पा.नि./लो0नि0वि0/2021 जगदलपुर दिनांक 8/1/2021

प्रतिलिपिः–

1. मान0 महापौर, नगरपालिक निगम, जगदलपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. मान0 अध्यक्ष (स्पीकर), नगरपालिक निगम, जगदलपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
3. मान0 सभापति, आवास पर्यावरण एवं लोक निर्माण विभाग समिति, नगरपालिक निगम, जगदलपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
4. नेता प्रतिपक्ष, नगरपालिक निगम, जगदलपुर की ओर सादर सूचनार्थ ।
5. सम्पादक .... दैनिक समाचार पत्र रायपुर/जगदलपुर। कृपया आपके समाचार पत्र में दिनांक ....के अंक में एक बार साईज 2 कॉलम 10 सें.मी. या इससे कम साईज में प्रकाशित कर इस आदेश क छायाप्रति सहित प्रकाशित समाचार पत्र की 3 प्रतियों सहित देयक भुगतान हेतु प्रस्तुत करें।
6. प्रोग्रामर, डाटा सेंटर, नगरपालिक निगम, जगदलपुर की ओर विभागीय वेबसाईट में अपलोड करने हेतु सूचनार्थ।
7. श्री सुमित महापात्र, जनसंपर्क, नगरपालिक निगम जगदलपुर की ओर शासन के निर्देशानुसार समाचार पत्र में प्रकाशित किये जाने हेतु तीन–तीन प्रतियों में प्रेषित है। समाचार पत्र में प्रकाशन उपरांत प्रकाशित समाचार पत्र की दो–दो प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।
8. सूचना फलकः– मुख्य कार्यालय/लोक निर्माण शाखा/जलप्रदाय शाखा कार्यालय नगर पालिक निगम जगदलपुर में चस्पा हेतु।

आयुक्त
नगरपालिक निगम, जगदलपुर

लेटर पेड में

पत्र एवं दस्तावेज

प्रति,

आयुक्त
नगरपालिक निगम,
बस स्टैण्ड रोड, शांती नगर वार्ड क्र. 25
जगदलपुर जिला–बस्तर छ0ग0

विषय :– जगदलपुर स्थित दलपत सागर में नौका विहार हेतु 1 नग लकड़ी का नाव प्रदाय तथा 1 वर्ष तक रख–रखाव एवं संधारण कार्य हेतु रूचि की अभिव्यक्ति

मैं/हम ....

.... पता ....

....

.... । उपरोक्त विषयान्तर्गत कार्य हेतु इच्छुक हुं/हैं, एवं हमें इस कार्य की समस्त नियम शर्तें मंजूर है ।

हमारे द्वारा इस कार्य को करने हेतु अभिलेख निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

1. ई0ओ0आई0 शुल्क रू. 300.00 नकद जमा डी.डी. क्रमांक.. दिनांक .... बैंक का नाम ....की मूल प्रति संलग्न है
2. इच्छुक प्रदायकर्त्ता एजेंसी/व्यक्ति/निर्माता/ठेकेदार/अशासकीय संस्थानों (NGO) एवं पंजीकृत मछुवारा समितियों का जीएसटी पंजीयन पत्र ।
3. इच्छुक प्रदायकर्त्ता एजेंसी/व्यक्ति/निर्माता/ठेकेदार/अशासकीय संस्थानों (NGO) एवं पंजीकृत मछुवारा समितिय का पेन कार्ड की छाया प्रति
4. रू. 3000.00 का अमानत राशि का एफडीआर क्र. .... दिनांक ....जो आयुक्त नगरपालिक निगम के पक्ष में देय हो का मूल प्रति ।
5. विषयांतर्गत कार्य हेतु दर पृथक लिफाफे में ।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार ।

हस्ता. एवं सील

नाम ....

पता ....

....

लेटर पेड में

आफर(दर)

प्रति,

आयुक्त
नगरपालिक निगम,
बस स्टैण्ड रोड, शांती नगर वार्ड क. 25
जगदलपुर जिला–बस्तर छ0ग0

विषय :– जगदलपुर स्थित दलपत सागर में नौका विहार हेतु 1 नग लकड़ी का नाव प्रदाय तथा 1 वर्ष तक रख–रखाव एवं संधारण कार्य हेतु रूचि की अभिव्यक्ति

मैं/हम ....

.... पता ....

....

.... । उपरोक्त विषयान्तर्गत कार्य हेतु इच्छुक हुं/हैं, एवं हमें इस कार्य की समस्त नियम शर्तें मंजूर है ।

साल लकड़ी का नाव प्रदाय तथा1 वर्ष तक रख–रखाव एवं संधारण हेतु हमारा दर समस्त करों सहित निम्नानुसार हैः–

1. अंको में रू ....

2. शब्दों में ....

हस्ता. एवं सील

नाम ....

पता ....

....

कार्यालय नगरपालिक निगम, जगदलपुर, जिला–बस्तर, (छत्तीसगढ़)

विषयः– जगदलपुर स्थित दलपत सागर मेंप्रदाय की जाने वाली नाव निर्माण का विवरण ।

1. नाव का निर्माण उच्च गुणवत्ता वाली साल लकड़ी से होना चाहिए ।
2. नाव की लम्बाई न्यूनतम 32 फीट एवं चौड़ाई मध्य में न्यूनतम 07 से 08 फीट तथा ऊँचाई मध्य में न्यूनतम 02.6 एवं किनारों पर ऊंचाई न्यूनतम 01.6 फीट होना चाहिए ।
3. नाव लीक प्रुप होना चाहिए एवं उच्च गुणवत्ता का इनामल पेंट लगा होना चाहिए ।
4. नाव में 15 व्यक्तियों के बैठने के लिए साल लकड़ी से बनी तख्तों की व्यवस्था होनी चाहिए । तख्तों की चौड़ाई न्यूनतम सात इन्च एवं मोटाई न्यूनतम एक इंच होनी चाहिए।
5. नाव खेने (चलाने) के लिए 02 नग चप्पू (पतवार) मजबुत साल लकड़ी का होना चाहिए ।

कार्यपालन अभियंता
नगरपालिक निगम, जगदलपुर

08/01/2021
आयुक्त
नगरपालिक निगम, जगदलपुर

कार्यालय नगरपालिक निगम, जगदलपुर, जिला–बस्तर, (छत्तीसगढ़)

नियम शर्तें

विषयः– जगदलपुर स्थित दलपत सागर मेंप्रदाय की जाने वाली नाव निर्माण का विवरण ।

1. रूचि की अभिव्यक्ति **(Expression of Interest)** दिनांक 19/01/2021 को सांय 5.30 बजे तक स्पीड पोस्ट/रजि.डाक के माध्यम से कार्यालय आयुक्त, नगरपालिक निगम, बस स्टेण्ड रोड, शांती नगर वार्ड जगदलपुर में प्राप्त होना अनिवार्य है । निर्धारित समयावधि उपरांत प्राप्त ऑफर पर विचार नहीं किया जावेगा ।

2. प्राप्त रूचि की अभिव्यक्ति **(Expression of Interest)** को दिनांक 20/01/2021 को 11.30 बजे उपस्थित एजेंसी/व्यक्ति/निर्माता/ठेकेदार/अशासकीय संस्थानों **(NGO)** एवं पंजीकृत मछुवारा समितियों या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष नगर निगम कार्यालय में कार्यपालन अभियंता के कक्ष में खोली जावेगी ।

3. नाव का रख–रखाव व संधारण का कार्य एक वर्ष तक के लिए नाव प्रदाय करने वाले प्रदायकर्त्ता एजेंसी/व्यक्ति/निर्माण/ठेकेदार/अशासकीय संस्थानों **(NGO)** एवं पंजीकृत मछुवारा समितियों की होगी इस हेतु नाव की प्रदाय राशि के अतिरिक्त किसी प्रकार भुगतान निगम द्वारा नहीं देय होगा ।

4. आवेदन प्रदायकर्त्ता एजेंसी/व्यक्ति/निर्माण/ठेकेदार/अशासकीय संस्थानों **(NGO)** एवं पंजीकृत मछुवारा समितियों का लेटर पेड में प्रस्ताव एवं आफर (दर) पृथक–पृथक लिफाफे में देना होगा ।

5. प्रदायकर्त्ता एजेंसी/व्यक्ति/निर्माण/ठेकेदार/अशासकीय संस्थानों **(NGO)** एवं पंजीकृत मछुवारा समितियों द्वारा ऑफर पत्र में प्रस्तुत दर समस्त प्रकार के कर सहित होना अनिवार्य है । ऑफर पत्र में उल्लेखित दर के अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा ।

6. ई0ओ0आई0 लिफाफा में चाही गई वांछित जानकारी, अभिलेख, प्रपत्र, ई0ओ0आई0 शुल्क जमा विवरण की मूल प्रति एवं अमानत राशि का एफ0डी0आर0 की मूल प्रति डालकर सीलबंद लिफाफा स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से निर्धारित तिथि एवं समय तक प्राप्त होने पर ही विचार किया जावेगा ।

7. ई0ओ0आई0 में भाग लेने हेतु रू. 300.00 का डी.डी. जो आयुक्त नगरपालिक निगम जगदलपुर के पक्ष में देय हो जमा कर ई0ओ0आई0 में भाग लिया जा सकता है ।

8. आवेदन के साथ रू. 3000.00 का अमानत राशि का एफडीआर जो आयुक्त नगरपालिक निगम के पक्ष में देय हो या शासन द्वारा इस संबंध मे संस्था को जारी छुट प्रमाण–पत्र की छाया प्रति जमा करना अनिवार्य होगा । इसके बिना आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा ।

9. लकड़ी की नाव प्रदाय करने की समयावधि 01 माह है । निर्धारित समयावधि में नहीं करने पर प्रति सप्ताह 1 प्रतिशत राशि अर्थदण्ड लगाया जावेगा ।

10. दर स्वीकृति उपरांत 100 रूपये के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर में कार्य का अनुबंध करना होगा ।

11. प्रत्येक देयक से शासन द्वारा निर्धारित दर से आयकर/जी.एस.टी आदि की कटौति की जावेगी ।

12. किसी भी ई0ओ0आई0 को बिना कारण बताएं स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार आयुक्त, नगर पालिका निगम, जगदलपुर के पास सुरक्षित है।

13. किसी भी विवाद की स्थिति में आयुक्त, नगर पालिक निगम, जगदलपुर का निर्णय अंतिम होगा। किसी भी कार्य को कम या अधिक करने का अधिकार आयुक्त, नगर पालिक निगम, जगदलपुर को होगा ।

14. ई.ओ.आई. सूचना में उल्लेखित तिथि को अवकाश होने की स्थिति में आगामी कार्यदिवस मानी जावेगी ।

15. ई.ओ.आई.सूचना अनुबंध का एक भाग होगा ।

16. नाव प्रदाय करने हेतु पूर्व में किसी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा ।

17. नाव प्रदाय करने के उपरांत ऑफर राशि का 90 प्रतिशत राशि भुगतान किया जावेगा, 1 वर्ष के संतोषजनक संचालन एवं संधारण उपरांत ही 10 प्रतिशत रशि का भुगतान किया जावेगा ।

18. रख–रखाव एवं संधारण अवधि 01 वर्ष में नाव खराब, लीकेज आदि होने पर नाव की स्थिति अनुसार नया नाव देना होगा या पूर्णतः सुधार कर देना होगा ।

इस सूचना, आवेदन पत्र, एवं नाव का विवरण आदि को निगम के विभागीय वेबसाइट **www.nagarnigamjagdalpur.in** एवं **http://uad.cg.gov.in** से डाउनलोड कर प्राप्त एवं ई.ओ.आई. में भाग लिया जा सकता है।

हस्ता...

ई0ओ0आई0 प्रस्तुतकर्ता के
हस्ताक्षर/सील

आयुक्त
नगरपालिक निगम,
जगदलपुर